

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 07(8)राज/वाद/2022 पार्ट-11

जयपुर दिनांक 05/09/2024

:: आदेश ::

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 (संशोधित नियम 2015) के अन्तर्गत निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2024-25 की डीपीसी हेतु आयोजित बैठक दिनांक 29.08.2024 में की गई अभिशंषा के अनुसार निम्न सूची के कॉलम संख्या 2 में अंकित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में अंकित पदोन्नति वर्ष के लिये कॉलम सं05 में अंकित रनिंग-पे बेण्ड एवं ग्रेड-पे/ पे-मेट्रिक्स लेवल पर प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन कर, स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

| क.सं. | कर्मचारी का नाम          | श्रेणी  | पदोन्नति वर्ष        | रनिंग-पे बेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल |
|-------|--------------------------|---------|----------------------|---|
| 1     | 2                        | 3       | 4                    | 5   |
| 1     | श्री धर्मवीर मेघानी      | सामान्य | 2024-25 (01.04.2024) | 9300-34800 ग्रेड-पे-4800/एल-12                |
| 2     | श्री दुर्गा प्रसाद पारीक | सामान्य | 2024-25 (01.04.2024) | 9300-34800 ग्रेड-पे-4800/एल-12                |
| 3     | श्रीमती सोनिया मुखीजा    | सामान्य | 2024-25 (01.07.2024) | 9300-34800 ग्रेड-पे-4800/एल-12                |
| 4     | श्री धर्मपाल शर्मा       | सामान्य | 2024-25 (01.07.2024) | 9300-34800 ग्रेड-पे-4800/एल-12                |
| 5     | श्री लारखी राम           | सामान्य | 2024-25 (01.07.2024) | 9300-34800 ग्रेड-पे-4800/एल-12                |
| 6     | कैलाश चन्द भीणा          | अ.ज.जा. | 2024-25 (01.11.2024) | 9300-34800 ग्रेड-पे-4800/एल-12                |

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति उक्त सूची में उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं04 में वर्णित दिनांक से प्रभावी है। अतः कॉलम सं04 में वर्णित दिनांक अथवा इसके पश्चात अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत/अवनत मानते हुये कार्यग्रहण कर, अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब इस विभाग को (जरिये ई-मेल/डाक) प्रेषित करेंगे।

यह आदेश जारी होने अथवा कार्मिक की पदोन्नति प्रभावी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के अभाव में यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और उनके द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग (Forego) माना जावेगा। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा, किन्तु पूर्व में इनके द्वारा प्राप्त किये गये लाभ यथावत रहेंगे। उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

ह.  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- संबंधित जिला कलक्टर,.....।
- संबंधित कोषाधिकारी,.....।
- संबंधित कार्यालय,.....।
- सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
- संबंधित कर्मचारी,.....।
- रक्षित पत्रावली।

05/09/2024

(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि